न्यायालय-विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय(पोक्सो अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
उपस्थितः:- मोहम्मद बाबर खान, एच०जे०एस०।
जे०ओ० कोड यू०पी० 02742

UPME010090492026
फौजदारी अपील संख्या- 106 सन् 2026

किशोर अपचारी 'क' पुत्र श्री विनोद द्वारा संरक्षक/पिता विनोद पुत्र चन्दरूप, निवासी सलावा, थाना सरधना, जिला मेरठ।

.....अपीलार्थी/किशोर अपचारी।

---बनाम---

1. उत्तर प्रदेश सरकार,
2. श्रीमती मदनवती पत्नी सोमपाल सिंह, निवासी मौजमाबाद, ज्वालागढ़, थाना सरधना, जिला मेरठ।

.....प्रत्यर्थीगण।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री नरेन्द्र चौहान एवं श्री अवकाश जैन।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता- श्री अनुज कुमार शर्मा एडवोकेट।
प्रत्यर्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता- श्री चौ. सतीश कुमार एडवोकेट।

निर्णय

01. वर्तमान फौजदारी अपील, किशोर अपचारी 'क' की ओर से विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 99/2026, सरकार बनाम किशोर अपचारी 'क' पुत्र श्री विनोद, मु०अ०सं० 09/2026, अन्तर्गत धारा 103(1), 238 भा०न्या०सं०, थाना सरधना, जिला मेरठ के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 10.06.2026 से विक्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसके तहत किशोर अपचारी को उसके संरक्षक की सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

02. किशोर अपचारी 'क' की ओर से वर्तमान अपील इस आधार पर योजित की गयी है कि विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत है। किशोर अपचारी/अपीलार्थी निर्दोष है, उसे उक्त मुकदमें में झूंठा फंसाया गया है। किशोर अपचारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, उसका नाम विवेचक द्वारा बिना किसी कारण महाराजा चौक पर मुखबिर खास के कहने के आधार पर आया है। विवेचक द्वारा दिनांक 06.01.2026 को किशोर अपचारी को उसकी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त बनाया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। किशोर अपचारी से कोई बरामदगी नहीं हुई है, दर्शित की गयी बरामदगी फर्जी है। किशोर अपचारी के बयान की संस्वीकृति एफ.आई.आर. व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खाती है। विवेचक द्वारा केस को रंगत देने के लिये अंग्रेजी शराब वाले के बयान दर्ज किये गये हैं। मृतक के शव के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं पायी गयी। किशोर अपचारी की गिरफ्तारी के

पश्चात् उसकी कथित संस्वीकृति के आधार पर शव प्राप्त होने के स्थान के निकट आपत्तिजनक सामग्रियों की बरामदगी दिखायी गयी है, जो कि पुलिस द्वारा बाद में रोपित की गयी है। मृत के शव की शिनाख्त उसके जूतों से किया जाना बताया गया है। जूतों से शिनाख्त किया जाना अत्यन्त असम्भव है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पंजीकृत करायी गयी है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा आदेश दिनांकित 01.06.2026 से अभियुक्त की आयु 16 वर्ष 07 माह 23 दिन मानकर उसे किशोर अपचारी घोषित किया गया है। किशोर अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह दिनांक 07.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। बाद जमानत किशोर अपचारी के किसी गवाह या साक्ष्य को प्रभावित करने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः उनकी ओर से किशोर अपचारी को उसकी प्राकृतिक संरक्षक की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से विधि व्यवस्थायें **Kuldeep Yadav and anr. v. State of U.P. Thru. Prin. Secy. Home and another Criminal Revision No. 136/2022 Decided on 01.04.2022, Divyanshu Kumar Singh v. State of U.P. and Another Criminal Revision No. 393/2021 AIR Online 2021 All 732, Aman @ Fauzi v. State of U.P. 2019 (108) ACC 507, Sri Ram @ Bhalu v. State of U.P. 2012 (1) JIC 741 (All) (LB), Shiv Pujan @ Ram Poojan v. State of U.P. and Anr. 2010 (3) JIC 251 (All), Mohd. Feroj v. State of U.P. and Anr. 2007 (1) JIC 73 (All)** एवं **Pintu Gupta @ Priyaranjan Jaiswal v. State of U.P. 2009 (2) JIC 540 (All)** प्रस्तुत की गयी।

03. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि किशोर अपचारी द्वारा वादिनी मुकदमा के भांजे पर ईंट से प्रहार करके उसकी हत्या कारित की गयी तथा साक्ष्य के विलोपन हेतु उसके शव को जलाया गया। अगर उसको जमानत पर छोडा गया, तो उसके अपराधियों के सम्पर्क में आने की पूर्ण सम्भावना होगी तथा उसका नैतिक, शारीरिक व मानसिक पतन हो जायेगा। अतः अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

04. वादिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि किशोर अपचारी द्वारा वादिनी मुकदमा के भांजे की हत्या कारित की गयी है तथा साक्ष्य का विलोपन करने के उद्देश्य से शव को जलाया गया। सी.सी.टी.वी. कैमरों की रिकॉर्डिंग से अभियुक्त की पहचान हुई है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित की गयी, जिसमें अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट तथा अन्य सामग्रियों की बरामदगी हुई है। किशोर अपचारी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत दिये जाने का विरोध किया गया।

05. मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की

विस्तारपूर्वक बहस सुनी गयी तथा अपील की पत्रावली एवं संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का समग्र रूप से परिशीलन किया गया।

06. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से विदित है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती मदनवती द्वारा दिनांक 06.01.2026 को अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना सरधना, मेरठ पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि उसका भांजा रोहित उर्फ सोनू पुत्र सुरेन्द्र, निवासी मौहल्ला किला हनुमान चौक, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। दिनांक 05.01.2026 को वह उससे मिलने ज्वालागढ़ आ रहा था। शाम के समय उसके मोबाईल नम्बर 730253XXXX से मोबाईल नम्बर 956814XXXX पर कॉल आयी और कहने लगा कि सलावा गांव के कुछ लड़के उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। वे उसे देखने सलावा पहुंचे, तो वह नहीं मिला। कुछ देर बाद उसकी दूसरी कॉल आयी, तो उसने बताया कि ये लोग उसे महाराणा प्रताप चौक ज्वालागढ़ लेकर आ गये हैं, तो वे उसे देखने गये, पर वहां पर भी नहीं मिला। वे उसे रातभर खोजते रहे, पर वह नहीं मिला। सुबह उन्हें पता चला कि अक्खेपुर गांव के पास किसान पब्लिक स्कूल के पास किसी अज्ञात व्यक्ति को जलाकर मार दिया गया है, जिस पर वादिनी ने अपने लड़के सोनू के साथ मोर्चरी जाकर देखा, तो अक्खेपुर स्कूल के पास जलाकर मारा गया लड़का भांजा रोहित उर्फ सोनू ही है। उक्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ करते हुए शव का पंचायतनामा तैयार किया गया तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा मृतक के सिर पर पीछे की तरफ एक चोट पायी गयी तथा मृतक की मृत्यु सिर में लगी चोट के चलते सैरिब्रल डैमेज होने के कारण होना बताया गया। दौरान विवेचना मुकदमा वादिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र एवं मुखबिर द्वारा बताये जाने एवं अन्य साक्ष्य संकलन से किशोर अपचारी का नाम प्रकाश में आया तथा दिनांक 06.01.2026 को समय 21.10 बजे पुलिस द्वारा किशोर अपचारी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया तथा उसका बयान अंकित किया गया। दिनांक 07.01.2026 को पुलिस द्वारा किशोर अपचारी की निशानदेही से सलावा दादरी मार्ग से गन्ने की फसल से टैम्पो UP 17 AT 7042 बरामद किया गया, जिससे किशोर अपचारी द्वारा मृतक को लेकर आना बताया गया। किशोर अपचारी ने टेम्पो में से ड्राईवर की सीट के पास से एक मोबिल ऑयल का डिब्बा निकालकर देते हुए कहा कि इसी मोबिल ऑयल से उसने मृतक सोनू के ऊपर मोबिल ऑयल डालकर आग लगा दी थी। तदुपरान्त पुलिस द्वारा किशोर अपचारी की निशानदेही से रार्धना सलावा मार्ग पर अक्खेपुर गांव के पास किसान पब्लिक स्कूल से आगे चलकर आम के पेड़ के पीछे से घटना में प्रयुक्त ईट की बरामदगी की गयी, जिसके द्वारा किशोर अपचारी ने मृतक की हत्या कारित करना बताया गया। पुलिस द्वारा किशोर अपचारी की निशानदेही से रार्धना सलावा मार्ग पर अक्खेपुर गांव के पास किसान पब्लिक स्कूल से करीब 300 मीटर आगे महाराणा प्रताप चौक की तरफ झाड़ियों

से मृतक का मोबाईल फोन बरामद किया गया, जिसके बारे में किशोर अपचारी ने बताया कि उसने मृतक की हत्या करके उसके मोबाईल को यहीं फैंक दिया था। विवेचक द्वारा बाद विवेचना सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त किशोर अपचारी के विरूद्ध धारा 103(1), 238 भा०न्या०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ के समक्ष प्रेषित किया गया, जिस पर किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा दिनांक 01.04.2026 को प्रसंज्ञान लेते हुए फौजदारी वाद के रूप में पंजीकृत किया गया। किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा आदेश दिनांकित 01.06.2026 पारित करते हुए किशोर अपचारी 'क' पुत्र श्री विनोद को घटना के समय उम्र 18 वर्ष से कम अर्थात् 16 वर्ष 07 माह 23 दिन अवधारित की गयी। किशोर अपचारी 'क' की ओर से उपरोक्त प्रकरण में किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 99/2026 प्रस्तुत किया गया, जिस पर आदेश दिनांकित 10.06.2026 पारित करते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर वर्तमान अपील योजित की गयी है।

07. पत्रावली पर उपलब्ध विधि सह-परिवीक्षा अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण आख्या दिनांकित 13.04.2026 के परिशीलन से विदित है कि किशोर अपचारी ग्राम सलावा, थाना सरधना, जिला मेरठ का मूल निवासी है। किशोर अपचारी के पिता टैम्पो चलाते हैं तथा उसकी माता गृहणी है। किशोर अपचारी के परिवार में उसकी दो बहनें हैं। परिवार के सदस्यों में आपस में संबंध सामान्य हैं। किशोर अपचारी द्वारा कक्षा 08 से ऊपर तथा कक्षा 10 से नीचे की कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की गयी है। आस-पड़ोस के लोगों द्वारा बताया गया किशोर व उसके परिवार का आचरण व व्यवहार आस-पड़ोस के लोगों के साथ सामान्य है तथा आस-पड़ोस में कम शिक्षित एवं मध्यम आय वर्ग के लोग निवास करते हैं। जांच के परिणाम में किशोर अपचारी की शारीरिक व मानसिक स्थिति स्वस्थ एवं बुद्धिमत्ता आयु के सापेक्ष है। समस्याओं के सुझाए गये कारण में किशोरावस्था में संगत का प्रभाव होना, परिवार द्वारा किशोर की गतिविधियों पर समुचित निगरानी न रखना प्रतीत होता है। परिवीक्षा द्वारा पुनर्वास के संबंध में सिफारिश की गयी है कि वर्तमान में किशोर अपचारी राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मेरठ में आवासित है, जहां उसका आचरण व व्यवहार संतोषजनक है। किशोर की आयु व भविष्य के दृष्टिगत किशोर की शिक्षा को जारी रखना, नियमित रूप से उचित मार्गदर्शन व निर्देशन प्रदान करना, किशोरावस्था में सही-गलत का समुचित ज्ञान प्रदान करना, विकास के उचित अवसर प्रदान करना किशोर को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास में सहायक होगा। उक्त वाद में दोषिसद्ध होने की स्थिति में उसे प्रोबेशन पर मुक्त किये जाने की सिफारिश की गयी है।

08. **किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 12(1)** के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आधारों का उल्लेख करते हुए यह उपबन्धित किया गया है कि- "जब कोई व्यक्ति, जो प्रकट रूप से

बालक है और जिसे जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध कारित करने के लिए अभिकथित किया गया हो, पुलिस द्वारा गिरफ्तार अथवा निरूद्ध किया जाता है अथवा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होता है, लाया जाता है तब ऐसे व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिभू सहित अथवा रहित जमानत पर निर्मुक्त किया जायेगा अथवा परीवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल के अधीन रखा जायेगा।"

परन्तु ऐसे व्यक्ति को निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, यदि यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार होना प्रतीत होता है कि निर्मुक्ति उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साहचर्य में लाने के लिये अथवा उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने के लिये सम्भाव्य है अथवा उस व्यक्ति की निर्मुक्ति न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

09. वर्तमान प्रकरण में किशोर अपचारी के विरूद्ध वादिनी मुकदमा के भांजे की ईंट से सिर पर प्रहार करके उसकी हत्या कारित करने का तथा उसके शव के साक्ष्य का विलोपन करने हेतु उसके शव को मोबिल ऑयल डालकर जलाने का आक्षेप है। किशोर अपचारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है तथा दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। विवेचक द्वारा किशोर अपचारी की गिरफ्तारी दिनांक 06.01.2026 को उसके घर से की गयी तथा उसकी निशानदेही दिनांक 07.01.2026 को टैम्पो, जिसमें अपचारी द्वारा मृतक को बैठाकर लाना बताया गया है तथा टैम्पो में से ड्राईवर की सीट के पास से एक मोबिल ऑयल, जिसे किशोर अपचारी द्वारा मृतक के ऊपर छिड़ककर उसमें आग लगाया जाना बताया गया है तथा घटना में प्रयुक्त ईंट, जिससे अपचारी द्वारा मृतक के सिर पर प्रहार करने तथा मृतक के मोबाईल फोन की बरामदगी की गयी है। विवेचक द्वारा अंग्रेजी शराब ठेके के सैल्समेन सौरभ शर्मा का बयान अंकित किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 05.01.2026 को ठेके पर मौजूद होने तथा शाम के करीब 06 बजे एक टैम्पो से दो व्यक्तियों के उतरकर आने और 8 पी.एम. के दो पाउच खरीने और कैन्टीन से कुछ सामान लेने और टैम्पो में बैठकर महाराणा प्रताप चौक की तरफ चले जाने का कथन किया गया है। विवेचक द्वारा घटनास्थल से चलकर रार्धना तिराहे पर स्थिति अंग्रेजी व देशी शराब के ठेके व कैन्टीन व खाद बीज भण्डार पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों को ठेके व कैन्टीन पर मौजूद सैल्समेन के समक्ष सी.सी.टी.वी. कैमरे चैक किये गये, तो दिनांक 05.01.2026 को मृतक रोहित उर्फ सोनू व किशोर अपचारी अंग्रेजी शराब के ठेके पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में समय करीब 17.55 बजे टैम्पो से उतरकर अंग्रेजी शराब के ठेके पर आते हुए तथा समय करीब 17.56 पर वापस टैम्पो की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान सैल्समेन द्वारा की गयी। किशोर अपचारी द्वारा जहां मृतक को जलाना बताया गया, उसके पास के किसान पब्लिक स्कूल के चौकीदार जनक

सिंह एवं स्कूल के मालिक आनन्द सिंह के बयान अंकित किये गये। चौकीदारी जनक सिंह द्वारा अपने बयान में कथन किया कि दिनांक 05.01.2026 को समय करीब शाम 08 बजे जब वह स्कूल पर पहुंचा, तो देखा कि स्कूल के कोने पर शपाल के खेत के पास आग चल रही थी। उसने आग के नजदीक जाकर देखा, तो कोई व्यक्ति आग में जल रहा था, वह उस समय मर चुका था। इसकी सूचना उसने स्कूल मालिक को दी गयी। विवेचक द्वारा स्कूल में लगे सी.सी.टी.वी. को चैक कराया गया, तो पाया गया कि सी.सी.टी.वी. कैमरे में दिख रहे समय व उस समय के सही समय में 02 घंटे 18 मिनट का अन्तर था तथा समय करीब 20.45 बजे ग्राम रार्धना महाराणा प्रताप रोड से स्कूल की तरफ एक टैम्पो स्कूल के सामने बायीं तरफ बने खाली मैदान में आकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रात्रि का अंधेरा होने के कारण स्पष्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन टैम्पो के पीछे लगी रेडियम पट्टी व लाईट में दो व्यक्तियों का टैम्पो से बाहर निकलना तथा कुछ समय पश्चात् टैम्पो के आगे की तरफ अचानक आग जलती हुई दिखायी दे रही है। आग के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तथा खड़े व्यक्ति द्वारा आग में कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला गया, जिससे आग की लपटें तेज हुई। जली आग की रोशनी में वह व्यक्ति टैम्पो की तरफ आता दिखाई दे रहा है तथा टैम्पो में बैठकर समय करीब 21.16 बजे टैम्पो को लेकर महाराणा प्रताप चौक की तरफ जाता हुआ दिखायी दे रहा है। उक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज डी.वी.आर. एवं धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संकलित कर विवेचक द्वारा केस डायरी के साथ संलग्न किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त परिस्थितियों से विदित है कि किशोर अपचारी सुनियोजित तरीके से परिपक्व मन मस्तिष्क के आधार पर मृतक की ईंट से सिर पर प्रहार करके हत्या कारित की गयी है तथा उसके शव के साक्ष्य का विलोपन करने हेतु मृतक के ऊपर मोबिल ऑयल छिड़ककर उसमें आग लगायी गयी है। किशोर अपचारी द्वारा कारित किये गये अपराध की प्रकृति से यह संकेत मिलता है कि उसका मस्तिष्क किसी निर्दोष बालक की तुलना में अधिक परिपक्व है। किशोर अपचारी की सामाजिक अन्वेषण आख्या में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने तथा उसकी बुद्धिमत्ता आयु के सापेक्ष होने का कथन किया गया है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि किशोर अपचारी अपराध कारित करने में सक्षम नहीं रहा है।

10. उपरोक्त से विदित है कि घटना की तिथि पर किशोर अपचारी की आयु 16 वर्ष 07 माह 23 दिन रही है। किशोर अपचारी घटना का एकमात्र एवं मुख्य अभियुक्त है। विधि सह-परीविक्षा अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण आख्या के अनुसार किशोर अपचारी वर्तमान अपराध की कारित करने की शारिरिक क्षमता रखता है। अपराध कारित किये जाने का कारण किशोर अपचारी को उसके परिवार द्वारा उचित मार्गदर्शन प्रदान करने में अभाव होना अंकित किया गया है। आख्या में यह भी अंकित किया गया है कि वर्तमान में किशोर अपचारी

की आयु तथा उसके द्वारा कारित अपराध में उसकी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए किशोर अपचारी को नियमित काउसंलिग, मार्गदर्शन व नियंत्रण में रखा जाना आवश्यक है। अपचारी की नियमित काउंसलिंग संप्रेषण गृह में रहकर ही संभव है। अपचारी के परिवार वालों का उस पर नियंत्रण का अभाव है। किशोर अपचारी के पिता टैम्पो चलाते हैं तथा माता गृहणी है तथा उसकी दो बहनें हैं। वर्तमान में अपचारी नवयुवक है। अपचारी को कठोर नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। यदि अपचारी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो पुनः इस प्रकार के अपराध में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिससे अपचारी का भविष्य खतरे में पड़ने की पूर्व संभावना है एवं न्याय के उद्देश्य के विफल होने की भी पूर्व संभावना है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत ऊपर्लिखित विधि व्यवस्थाओं का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य एवं परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों से पूर्णतः भिन्न हैं, जिस कारण संदर्भित विधि व्यवस्थायें वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होती हैं।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Omprakash v. State of Rajasthan and other 2012 (77) ACC 654** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि न्यायालयों को ऐसे मामलों में तर्क और अति संवेदनशील होना चाहिये, जिसमें किशोर अपचारी के विरूद्ध लैंगिक अपराध, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग एवम् हत्या जैसे मामले आरोपित किये गये हों। यह भी मत व्यक्त किया गया है कि, यदि मामले की परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि, किशोर अपचारी ने सुनियोजित ढंग से और विशिष्ट प्रकार से अपराध कारित किया है. जिससे यह संकेत मिलता है कि उसका मस्तिष्क किसी निर्दोष बच्चे की तुलना में अधिक परिपक्व है, तो इस तथ्य को भी किशोर अपचारी की जमानत का निस्तारण करते समय ध्यान में रखना चाहिये।

12. इस प्रकार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपचारी के अपराध में पुनः सम्मिलित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक अन्वेषण आख्या में अपचारी के परिवार का उस पर उचित मार्गदर्शन का अभाव होना बताया गया है। अपचारी नवयुवक है तथा उस पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है। अपचारी में सुधार की आवश्यकता है तथा अपचारी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसे कठोर अनुशासन व निगरानी में रखने की आवश्यकता प्रकट होती है तथा यदि अपचारी को राजकीय सप्रेक्षण गृह में न रखकर, जमानत प्रदान की जाती है, तो उस पर नियंत्रण का अभाव होगा, जिससे वह इस प्रकार के अपराध में पुनः सम्मिलित हो सकता है, जिससे न्याय के उद्देश्य विफल होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः उक्त आधारों पर इस मामले में धारा 12 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम के अपवाद

लागू होते हैं तथा उक्त समस्त को ही दृष्टिगत रखते हुए विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपचारी का जमानत प्रार्थना निरस्त किया गया है।

13. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि एवं सारवान अनियमितता नहीं पायी जाती है। अतः प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। तदनुसार विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश की पुष्टि किये जाने योग्य है एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

14. अपीलार्थी/किशोर अपचारी की ओर से प्रस्तुत फौजदारी अपील संख्या 106/2026, किशोर अपचारी 'क' द्वारा प्राकृतिक संरक्षक/पिता विनोद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य निरस्त की जाती है एवं विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 99/2026, सरकार बनाम किशोर अपचारी 'क' पुत्र श्री विनोद, मु०अ०सं० 09/2026, अन्तर्गत धारा 103(1), 238 भा०न्या०सं०, थाना सरधना, जिला मेरठ के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 10.06.2026 की सम्पुष्टि की जाती है।

15. इस निर्णय की एक प्रति सहित किशोर न्याय बोर्ड, मेरठ की पत्रावली अविलंब वापस प्रेषित की जाये।

16. बाद आवश्यक कार्यवाही फौजदारी अपील की पत्रावली नियमानुसार संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक 15.07.2026 (मोहम्मद बाबर खान)
विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
जे.ओ. कोड यू०पी० 2742

17. यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षिरत एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक 15.07.2026 (मोहम्मद बाबर खान)
विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
जे.ओ. कोड यू०पी० 2742